UPAL010119672022

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–11, अलीगढ़।

जमानत प्रार्थना पत्र सं0 :–6057/**2022**

पुष्पेन्द्र उर्फ हिमान्शू–––प्रति–––राज्य

मु0अ0सं0 :–191/ 2022

धारा:–392 भा0द0स0

थाना :जवॉ जिला अलीगढ़।

दिनांकः–03.11.2022

आवेदक/अभियुक्त पुष्पेन्द्र उर्फ हिमांशू पुत्र प्रहलाद निवासी ग्राम सिहाली नगर उर्फ सहरिया थाना अहार जिला बुलन्दशहर की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र मु0अ0सं0–191/2022, धारा–392 भा0द0स0, अन्तर्गत थाना–जवॉ जिला अलीगढ़ के प्रकरण में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा के तहत जिला कारागार में निरूद्ध है।

अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 27.06.2022 को वह अपने भाई कुलदीप कुमार के साथ स्कूटी मेस्ट आर0ओ0 यू0पी0–81–बी0जेड–8930 पर अपने मायके उमरारा से अपने सुसराल एन0एस0 पुरम कुन्जलपुर अलीगढ़ आ रही थी जब वह दोनों समय करीब 12.00ब जे दिन दोपहर जवॉ बाईपास फ्लाईओवर के पास पहुॅचे तो पीछे से मोटरसाईकिल पर सवार बदमाश आये और दोनों बदमाशों ने उसके गले की सोने की चैन जिसमें एक लोकिट पडा हुआ था छीन लिया और अलीगढ़ की तरफ को मोटरसाईकिल से भाग गये उसके बाद फिर से मुडकर आये और छतारी की ओर भाग गये। वह बदमाशों को सामने आने पर पहॅचान लेंगे।

मैंने आवेदक/ अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दांडिक) अलीगढ़ को सुना तथा सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया है कि वह निर्दोष है। उसे झूॅठा फंसाया गया है। उसके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। उसके कब्जे से कोई वस्तु बरामद नहीं हुआ है। घटना के सम्बन्ध में कोई मौके का स्वतंत्र साक्षी नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त जिला कारागार में निरूद्ध है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक जमानत देने को तैयार है, अतः उसे जमानत पर रिहा किया जाये।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दांडिक) अलीगढ़ द्वारा जमानत का घोर विरोध करते हुए और अपराध को गम्भीर प्रकृति का होना बताते हुए जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त करने का निवेदन किया गया है।

आवदेक/अभियुक्त के कब्जे से किसी प्रकार की कोई बरामदगी नहीं दर्शायी गई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में दर्ज कराई गई है। उक्त आपराधिक वाद अभियुक्त की इस संस्वीकृति कि दिनांक 27.06.22 को दोहपर के 12.00 बजे करीब उन्होंने अलीगढ़ के जवॉ बाईपास के पास एक महिला से सोने की चैन छीनी थी और उसको उन्होंने राह चलते हुये व्यक्ति को बेच दिया था के आधार पर पंजीकृत हुआ है। अभियुक्त के विरूद्ध दस मुकदमों का आपराधिक इतिहास दर्शाया गया है जिनमें दो वाद वर्ष 19 व वर्ष 21 व शेष वर्ष 2022 के हैं तथा उन मामलों में अभियुक्त की जमानत होने का कथन किया है और समर्थन में जमानत आदेश की प्रतियॉ दाखिल की गई हैं। अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। मेरे मत में बिना गुण–दोष पर विचार व्यक्त किए प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों में अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने का पर्याप्त आधार है। अतः जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

मु0अ0सं0–191/2022, धारा–392 भा0द0स0, अन्तर्गत थाना–जवॉ जिला अलीगढ़ के प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त पुष्पेन्द्र उर्फ हिमांशू की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त को उसके द्वारा मु0 1,00,000/–रू0 की दो जमानतें तथा उतनी धनराशि का निजी बंधपत्र सम्बन्धित मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के अनुसार दाखिल करने पर जमानत पर इस शर्त के साथ रिहा किया जाय कि वह प्रत्येक तिथि को न्यायालय में उपस्थित होकर विचारण में न्यायालय का सहयोग करेगा।

(रजनेश कुमार)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0–11, अलीगढ़।

Digitally signed by RAJNESH KUMAR
Date: 2022.11.03 15:10:50 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court